

SIKKIM UNIVERSITY

Ref. No.SU/2011/REG-03../VC-001/1408

Date: 17th August, 2017

**Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education**

Appointment of Vice-Chancellor of Sikkim University (A Central University)

Sikkim University is a Central University established by an Act of Parliament.

The Vice-Chancellor, being the academic as well as administrative head, is expected to be:

- A visionary with proven leadership qualities, administrative capabilities as well as teaching and research credentials.
- Having outstanding academic record throughout and a minimum of 10 years' experience as a Professor in a University system or in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.
- Not more than 65 years of age as on the closing date of receipt of applications of the advertisement.

Salary and Service Conditions

- The post carries a pay of Rs. 75,000/- (Fixed) per month with Special Allowance of Rs. 5000/- and other usual allowances.
- The terms and conditions of the services will be those as set forth in the Act, Statues and Ordinances of the University.

Procedure for appointment

- Appointment will be made from a panel of names recommended by a Committee constituted under the provisions of the Statutes of Sikkim University Act.
- The advertisement and the format of application are available on the websites <http://mhrd.gov.in> and www.cus.ac.in
- The applications in the **prescribed proforma** should reach within 30 days from the date of the publication of this advertisement, by Registered/Speed Post to:

Shri Surat Singh, Deputy Secretary,
Department of Higher Education, Ministry of HRD,
Rood No.325, 'C' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110115

“Application for the post of Vice Chancellor, Sikkim University”, should be super-scribed on the envelope.

This Department is not responsible for postal delay.

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्च शिक्षा विभाग

सिक्किम विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय) के कुलपति की नियुक्ति

सिक्किम विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।

शैक्षणिक के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख होने नाते कुलपति से यह उम्मीद की जाती है:

- पारखी सिद्ध नेतृत्व गुणों के साथ दूरदर्शिता, प्रशासनिक क्षमताओं के साथ शिक्षण और शोध प्रत्यायक होना।
- विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक अभिलेख का होना अथवा किसी प्रतिष्ठित शोध और/अथवा शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर होना।
- इस विज्ञापन के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर 65 वर्षों की आयु से अधिक आयु का नहीं होना।

वेतन एवं सेवा शर्तें

- इस पद पर प्रति माह रु.75,000/- रुपये (नियत) के साथ रु. 5000/- का विशेष भत्ता और अन्य सामान्य भत्तों का भुगतान होता है।
- सेवा के नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधियों एवं अध्यादेशों में निर्धारित के अनुसार होंगे।

नियुक्ति की प्रक्रिया

- यह नियुक्ति सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की संविधियों के प्रावधान के अंतर्गत गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के एक पैनल में से की जाएगी।
- विज्ञापन और आवेदन का प्रारूप वैबसाइट <http://mhrd.gov.in> और www.cus.ac.in पर उपलब्ध है।
- आवेदन **निर्धारित प्रारूप** में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट द्वारा निम्न पते पर पहुँच जाना चाहिए :

श्री सूरत सिंह, उप सचिव
उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
कमरा सं .325, 'सी'विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110115

लिफाफे पर "कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय के पद हेतु आवेदन" उपरलिखित होना चाहिए।

यह विभाग डाक विलंब हेतु उत्तरदायी नहीं है।